(108)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 383-तीन/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 04-01-2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 47/2001-02 निगरानी

1- कन्हैयालाल पुत्र मुन्नीलाल साहू
2- प्रेमलाल पुत्र मुन्नीलाल साहू
3- मुरारीप्रसाद पुत्र मुन्नीलाल साहू
तीनों ग्राम करामी तहसील सिंगरोली
जिला सिंगरोली मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- देवान पुत्र भगवतप्रसाद साहू
ग्राम करामी तहसील सिंगरोली
2- रामधारी पुत्र पंजा गडेरी ग्राम
छतकरम हाल ग्राम सपहा तहसील सिंगरोली
तहसील सूरजपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ --- अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 24 - 7-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 47/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-1-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम छतकरम स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 176 रकबा 2.023 हैक्टर में से रकबा 1.213 हैक्टर पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक ने क्रय की एंव तहसील न्यायालय में नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया।

नायव तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 18 अ-6/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 3-5-97 से नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 38/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2000 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का नामान्तरण आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी ने प्रकरण कमांक 430/99-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-2-2002 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 47/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-1-2007 से निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी का आदेश दिनांक 12-2-2002 एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली का आदेश दिनांक 29-4-2000 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार सिंगरोली के प्रकरण कमांक 18 अ-6/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 3-5-97 को यथावत् रखा। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण के पिता ने ग्राम छतकरम स्थित पुराना भूमि सर्वे नंबर 176 रकबा 2.023 हैक्टर में से रकबा 0.309 हैक्टर पंजीकृत विकय पत्र से कय किया था जिस पर कय दिनांक से काविज हैं। बंदोवस्त के दौरान पुराने भूमि सर्वे नंबर 176 से नया सर्वे नंबर 270 रकबा 0.80 हैक्टर एंव 271 रकबा 0.55 हैक्टर बनाये गये हैं । नये नंबर निर्माण के समय त्रृटि होने से पुराना सर्वे नंबर 176 के रकबा में से 0.23 है. रकबे की कमी हो गई है। इसे अनदेखा करते हुये नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को सूचित किये बिना आदेश दिनांक 3-5-97 से अनावेदक कमांक 1 का गलत नामान्तरण किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर कलेक्टर ने ठीक निरस्त करके पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने जानबूझकर आवेदकगण को सुनवाई से बंचित करते

हुये नायव तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने की भूल की गई है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि यह सही है कि नायव तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 18 अ-6/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 3-5-97 से पॅजीकृत विकय पत्र के आधार पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। जहॉ तक बंदोवस्त के दौरान रकवे में कमवेशी होने का प्रश्न है - रकबे की कमीवेशी नामान्तरण कार्यवाही से प्रथक विषय है क्योंकि बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि के सुधार के लिये संहिता में प्रथक से प्रावधान किया गया है। रजिस्टर्ड विकय पत्र की जॉच राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है एंव रजिस्टर्ड विकय पत्र में अंकित रकबे पर केता का नामान्तरण किया जावेगा। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 47/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-1-2007 में निकाले गये निष्कर्ष से मैं सहमत हूॅ, क्योंकि न्यायालय का दायित्व है कि पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी न बढ़े एंव शीघ्र न्याय प्रदान किया जाय, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के आदेश दिनांक 29-4-2000 एंव अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के आदेश दिनांक 12-2-2002 से प्रकरण प्रत्यावर्ति होना पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने जैसे कार्यवाही हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 4-1-2007 में निकाले गये निष्कर्ष उचित हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 47/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-1-2007 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर